

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक : ई-33 / एफ.09 / 2025 / 39 दिनांक:- As Per Signature

**आदेश**

निम्नलिखित कार्मिक के राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर नाम के सम्मुख अंकित तिथि पर मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम/ पद श्री/श्रीमति/सुश्री	पदस्थापन स्थान/जिला	जन्म दिनांक	प्रथम नियुक्ति दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	दिनेश चन्द शर्मा, तकनीकी सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपवास जिला भरतपुर	01.04.1965	24.09.1984	31.03.2025

**कर्मचारी के विरुद्ध:-**

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33 / एफ.09 / 2025 / 39

दिनांक:- As Per Signature

- प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, भरतपुर/जयपुर।
  - संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-भरतपुर।
  - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।
  - चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपवास जिला भरतपुर।
  - श्री दिनेश चन्द शर्मा, तकनीकी सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपवास जिला भरतपुर को द्वारा उनके प्रशा./नियं. अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।
  - सर्वर रूम, अराजपत्रित (पैरा.मेडी अनु) को वेबसाइट पर अपलोड वास्तें।
  - आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakoshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :18-02-2025 11:41:41